कार्यालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र

विदित है कि दिनांक 26.01.2004 से दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 लागू हो चुका हैं, जिसमें हिन्दी को राजभाषा का दर्जा भी दिया जा चुका है। अतः जिला एवं सत्र न्यायालय, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूना न्यायालय, दिल्ली कि समस्त कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता हैं कि वे हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें। केन्दीय हिन्दी कार्यन्वयम समिति द्वारा प्राप्त परिपत्र के अनुसार ,कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने पर पारितोषित देने का भी प्रावधान हैं (प्रति संलग्न)। इस संबंध मे किसी भी प्रकार की सहायता के लिये आप उत्तर-पूर्व जिला में स्थापित हिन्दी विभाग से संपक्त कर सकते हैं।

अफिताभा रावत

(अमिताभ रावत) नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग उत्तर-पूर्व, कडकडडूमा कोर्ट. दिल्ली।

दिनांक.....

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू उपरोक्त आदेश की प्रति निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है:-

- । निजी सचिव, माननीय जिला एंव स्त्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- 2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- 3. माननीय नोड़ल अधिकारी, हिन्दी विभाग, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- 4. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- 5. वेबसाइट समिति, उत्तर-पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
- 6. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उत्तर-पूर्व, कड़कड़ड्रमा न्यायालय, दिल्ली।
- 7. सभी कर्मचारी।

(रेन्ट्रश्मि) ेऽ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) उत्तर-पूर्व, कडकडडूमा कोर्ट. दिल्ली।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

कार्यालय परिपन्न संख्या 30050-250 / हिन्दी / 237 / 2016, दिनांक 31 अगस्त 2016 के क्रम में नाननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली के आदेश दिनांक 08/12/2016 के अनुपालन में पुनः सूचित किया जाता है कि स्वामि ज एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में इन्सेन्टिया फॉर हिन्दी शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखत नियमों में हिंदी भाषः में निर्धारित कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पारिताषिक देने का प्रावधान है (सूचनार्थ प्रति संलग्न है)। केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति इन प्रावधानों के अनुसार नकद पारितोषिक हेतु जिला न्यायालय दिल्ली के कर्मचारियों से सलगन नियमों में दर्शाए गए निर्धारित प्रपत्र पर उनके द्वारा हिन्दी भाषा में किए गए कार्यों का विवरण आमंत्रित करती है।

संलग्न नियमों को मली-मांति पढ़ने के बाद योग्य कर्मचारी दिनांक 31 जनवरी 2017 तक नियमानुसार अपना विवरण राजमामा हिंदी अनुभाग, कक्ष संख्या 237, द्वितीय तल, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली को भेजें ताकि इस संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सके! अस्य अर्द

(अरुण कुमार आर्य)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नई दिल्ली / अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति

जिला न्यायालय, दिल्ली दिल्ली, दिनांक 02.

_ . / हिंदी / 237 / 2016

आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है-समस्त माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व, उत्तर-पूर्व, शाहदश, पश्चिम, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण व्यक्षण-प् दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली/ नई दिल्ली। **इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र (संजयनकों सहित) को अपने संबंधित जिले में प**रिचालित करवाएँ।

सनस्त न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली! समस्त न्यायक आध्वकारा, कन्द्राय जिला, तास हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली! श्री अरुण कुणर आर्थ, प्रधान न्यायालीयः परिवार न्यायालयः परियाला हाउस नई दिल्ली/अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन ममिति श्री अरुण कुणर आर्थ, प्रधान न्यायालीयः परिवार न्यायालयः परिश्व सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री सजीव जैन जिश्रं परिवार न्यायालयः किन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मद्री गर्जीय विद्यार विदेश सेवार आधिकरणः नवं दिल्ली/विरिध सदस्य, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मद्री गर्जीयव विदेश सदस्य केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयम समिति, दिल्ली: श्री तरुण सहस्ययतः पतिर्वार अर्थीवराण स्वायावियाः अर्थायावियाः अर्थायावियाः अर्थायावियाः अर्थायावियाः अर्थायावियाः अर्थायान्य अर्थायान्य अर्थायाः अनुमार-एकः दो य तीन, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली: विर्थे कार्यान्वयः परिसर, दिल्ली: समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अर्थिकरीः (न्यायालयः) प्रशासनिक अर्थिकरीः (न्यायालयः) प्रशासनिक अर्थिकरीः (न्यायालयः) प्रशासनिक अर्थिकरीः (न्यायालयः) दिल्ली: न्यायालयः परिसर, विल्ली: न्यायालयः परिसर, न्यायालयः परिसर, न्यायालयः विल्ली: न्याय

निजी कार्यातय, माननीय जिला एवं सत्र न्यावाधीश (मुख्यालय), दिस्ती। वंबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

नोट :- उपरोक्त सभी से अनुशेष है कि जपने जमीन समस्त कर्मचारियों को इस परिपन्न एवं इसके संसम्नकों से अध्यय करवाएं व निर्धासित तारीख टन्ड योग्य कर्मचारियों के नाम राजमाना हिची अनुभाग को निक्याएं। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी परिपन्न संख्या 30050-250/हिन्दी/237/2016 दिनांक 31 अगस्त 2016 के संदर्ग में अपने नाम राजमाना हिन्दी अनुभाग को मेख चूळे हैं, उन्हें इस परिपन्न के संदर्ग में दोवारा अपने नाम राजमाना हिन्दी अनुभाग को मेख चूळे हैं, उन्हें इस परिपन्न के संदर्ग में दोवारा अपने नाम राजमें की

त्रन्त राष्ट्रावर (तरुन सहरावत) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / वरिष्ठ सदस्य केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति जिला न्यायालय दिल्ली।

within the said period of three months, no personal pay will be granted. Extension of time-limit for option can be granted by the Administrative Ministry/Department concerned in special circumstances.

- In case an employee passes all the examinations in quick succession, personal pay should be granted to him separately for each examination, for a period of twolve months.
- 6. In the case of LDCs who are promoted as UDCs during the period of their training in Hindi Typewriting or after they have appeared in the Hindi Typewriting examination but before the results are declared or after the results are declared but before the date they start drawing the personal pay, the personal pay will be granted at the rate of and for the period they would have drawn, had they not been promoted as UDCs.
- 7. On promotion from a non-gazetted post while drawing personal pay to a non-gazetted higher post, the personal pay will be continued at the old rate and for the full period. On promotion from a non-gazetted post to a Gazetted post he will continue to draw the personal pay for the remaining period only, if he would have drawn it in the Gazetted post. However, the rate and the period will be as if he had not been promoted to the higher post.
- 8. An employee who has been granted personal pay while holding a higher post will draw the same, on reversion, at the rate equal to his increment in the lewer post for the period he would have drawn it in the higher post but for his severaids, subject to the condition that the total of pay plus personal pay does not exceed the association of the lower post.
- 9. When an employee is at the mentionen of his grade pay, personal pay ogual to the last increment may be granted for twelve months or till he/she gets promotion to the higher grade. He/wever, in special cases, the personal pay at the old rates may be continued on such promotion for the full period. Similarly, the personal pay granted to non-flindi speaking English Stenographese for passing Hindi Stenography Examination will cases to be drawn or promotion to higher post.
- 10. Personal pay is also granted for passing such Hindi examinations conducted by the Voluntary Hindi Organizations recognized by the Government as equivalent to or higher than the Matriculation examination and the Parichaya examination of the Central Hindi Directorate.
- 11. The personal pay will be sauctioned by the respective Ministrate/Departments/Offices and the expanditure on this account will be burne by them. In respect of Union Territories, it will be sanctioned by the respective UT Administrations.

[Section III, Appx. 7, Swarny's Compilation of FR & SR]

Incentive Scheme for doing work in Hindi.—(u) Scope.—Officers/Employees of all categories who do their official work wholly or partly originally in Hindi can participate in this Scheme. All Ministries/Department/Attached and Subordinate Offices of the Central Government may

introduce this Scheme independently for their officers / employees with effect from 1-4-1988.

(b) Eligibility.—Officers / Employees of all categories who do their official work wholly or partly originally in Hindi can participate in this scheme. Only those officers / employees will be eligible for award who write at least twenty theseand words in Hindi in a year in regions 'A' and 'B' (i.e., Bihar, Haryana, Histochal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Punjab States and the Union Territory of Andaman and Nicober Islanda, Union Territories of Delhi and Chandigarh) and at least ten thousand wards in Hindi in a year in regions 'C' (which comprise all other States and Union Territories except regions 'A' and 'B'). In addition to original noting and drafting, this will also include such other items of work done in Hindi which can be verified, such as entry in the registers, preparation of lists, accounting work, etc.

Stenographers / Typists who are covered under some other scheme for encouraging the use of Hindi in official work will not be eligible to participate in this scheme. Hindi Officers and translators who generally do their work in Hindi will not be eligible to participate in this Scheme.

- (c) Prizes.—The following cash awards will be given to the participants every year according to the work done by them in Hindi
 - (f) independently for each Ministry / Department / Attached Office of Central Ocyanoment.

First Prize (2 Prizes) ₹ 1,000 each.
Second Prize (3 Prizes) ₹ 600 each.
Third Prize (5 Prizes) ₹ 300 each.

(ii) Independently for each Subordinate Office of any Department of Central Government.

First Prize (2 Prizes) 7 800 cach.
Second Prize (3 Prizes) 400 cach.
Third Prize (5 Prizes) 7 300 cach.

A Head of Department / Office can sanction the prizes on the recommendation of the Assessment Committee and the expenditure on operating this Scheme will be mot from the Budget provision. Mention of winning a prize will also be made in Service Records of the Officer / Employee concerned. A list of the prize winners will be endorsed to the Home Ministry

For purposes of this Scheme, every Geographically separated Office may be treated as an independent unit. For instance, an Office of an Assistant Commissioner, etc., under Commissioner of Income Tax or Area Superintendent's Office, etc., under Divisional Railway Manager of the Railways will be treated as independent units for operation of this Scheme. Same will be in the case of Subordinate and Attached Offices of the Ministry of Defence or the Departments of Posts / Telecum., etc.